आनन्द चौहान को ज़मानत मिलने से मोदी की ईडी सवालों में

शिमला/शैल। वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई में आय से अधिक संपत्ति और ईडी में दर्ज मनीलॉंड्रिंग मामले में सहअभियुक्त बने एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को ईडी ने 8-7-16 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 6-9-16 को चालान दायर हुआ और 7-9-16 को अदालत ने इसका संज्ञान लिया था। इस प्रकरण में आरोप तय करने के लिये जब 7-7-17 को यह मामला सुनवाई के लिये आया तब ईडी के विशेष अधिवक्ता ने आरोपों पर बहस करने के लिये यह कहकर समय लिया कि इसमें अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक चालान सात सप्ताह के भीतर दायर किया जायेगा। इसी आधार पर 4-9-17, 31-10-17 और 15-12-17 को भी समय लिया गया। लेकिन यह अनुपूरक चालान अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आज तक दायर नही हो पाया है। स्मरणीय है कि इसमें वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, चुन्नी लाल चौहान और आन्नद चौहान एंवम अन्य अभियुक्त है। Applicant/ accuse was arrested in this case on 08.07.2016 and complaint was filed in the court against the applicant/ accused on 06.09.2016 on which cognizance as taken by Ld. Predecessor on 07.09.2016. the record reveals that on 07.07.2017. Special public prosecutor for ED took adjournment to argue on charge on the ground that supplementary complaint against other accused persons is to be filed within seven weeks. On similar grounds. Adjournment was taken on 04.09.2017, 31.10.2017 and 15.12.2017 Till date, supplementary complaint against other accused persons has not been filed by ED.

स्मरणीय है कि सीबीआई में आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में भी यही लोग अभियुक्त है। सीबीआई भी इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर चुकी है और इसमें आनन्द चौहान सहित अभियुक्तों को ज़मानत भी मिल चुकी है। सीबीआई में यह मामला 27-10-15 को दर्ज हुआ था इसमें आनन्द चौहान के खिलाफ यह आरोप था कि उसके माध्यम से वीरभद्र, प्रतिभा सिंह एवम अन्य परिजनों के नाम पर जो एलआईसी पॉलिसियां ली गयी हैं उनमें निवेष हुआ पैसा वीरभद्र का काला धन था। इस काले धन को एलआईसी पॉलिसियों में निवेष करने के लिये आनन्द चौहान को वीरभद्र के सेब बागीचे का प्रबन्धक बनाया गया तथा इसके लिये 15-6-8

का वीरभद्र सिंह के साथ एक एमओयू साईन किया गया। सीबीआई की जांच में यह एमओयू जाली पाया गया है और इसकी मूल प्रति आनन्द चौहान से गुम हो गयी है। वीरभद्र के खिलाफ यह मामला संशोधित आयकर रिटर्नज़ दायर करने के बाद सामने आया था। क्योंकि मूल आयकर रिटर्नज़ और संशोधित रिटर्नज़ आय में करीब 6 करोड़ की आय का अन्तर आया है। इस बढ़ी हुई आय को बागीचे की आय बताया गया जबकि सीबीआई की नज़र में यह आय से अधिक संपत्ति है और ईडी की नज़र में अपने ही कालेधन को सफेद बनाने के लिये इस तरह के निवेष का सहारा लिया गया है।

संशोधित आयकर रिटर्नज़ में जो आय दिखायी गयी है उसे वीरभद्र ने कभी अस्वीकार नही किया है। इसमें विवाद केवल इतना है कि क्या वीरभद्र के बागीचे से इतनी आय हो सकती थी या नही। दिल्ली उच्च न्यायालय में भी सीबीआई ने इस संशोधित आयकर रिटर्न और 2012 के विधान सभा चुनाव में वीरभद्र सिंह द्वारा दायर शपथपत्र में दिखायी आय में आयी भिन्नता का अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। 31-3-17 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चुनाव के शपथ पत्र को झूठा करार देते हुए इस प्रकरण को चुनाव आयोग को भेजने और चुनाव नियमों के तहत कारवाई करने के निर्देश दिये थे। लेकिन शायद यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच ही नही पाया है। इस तरह इस मामले में ईडी द्वारा अदालत से अनुपूरक चालान दायर करने के लिये बार-बार समय लेने के बाद चालान का दायर न होना और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद शपथ पत्र के मामले का चुनाव आयोग न पहुंचाया जाना ऐसे सवाल हैं जिनसे केन्द्र की इन दोनो जांच ऐजैन्सीयां की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े होते है।

इस मामले को भाजपा ने लोकसभा चुनावों और अब विधानसभा चुनावों में खूब भुनाया है। नरेन्द्र मोदी तक ने यह आरोप लगाये थे कि वीरभद्र के तो पेड़ो पर सेब की जगह नोट उगते हैं लेकिन अब जब ईडी ने आन्नद चौहान को तो डेढ वर्ष हिरासत में रखा और उसे ज़मानत तब मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने निकेश तारा चन्दशाह बनाम युनियन ऑफ इण्डिया मामले में 23-11-17 को दिये फैसले में ईडी अधिनियम की धारा 45 को असंवैधानिक करार दे दिया। सर्वोच्च न्यायलय के इस फैसले के बाद 15-12-17 को भी ईडी ने अनुपूरक चालान दायर करने के लिये समय लिया। लेकिन जब यह चालान दायर ही नही हो सका और 2-1-18 को ट्रायल कोर्ट ने अन्ततः चौहान को ज़मानत दे दी है। चौहान को ज़मानत मिलने के बाद यह पूरा मामला स्वतः ही कमज़ोर हो जाता है बल्कि इस ज़मानत के बाद वीरभद्र के इस आरोप को बल मिल जाता है कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत उसके खिलाफ यह मामले बनाये गये थे।

नेता प्रतिपक्ष के लिये राहुल ने मुकेश पर जताया भरोसा

शिमला/शैल। पत्रकारिता से राजनीति मे आये और लगातार चौथी बार ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत कायम रखने वाले पूर्व उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का दायित्व मुकेश को सौंपा है। स्मरणीय है कि जब कांग्रेस विधायक दल अपने स्तर पर नेता का चयन नहीं कर पाया और प्रस्ताव पारित करके नेता चुनने का अधिकार राहुल गांधी को सौंप दिया तब इसके लिय राहुल का मुकेश पर भरोसा जताना अपने में एक बड़ा अहम राजनीतिक फैसला हो जाता है। वीरभद्र सरकार के मन्त्रीमण्डल के सदस्यों में से मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त कवेल सुजान सिंह पाठानिया कर्नल डा. धनी राम शाडिल और मुकेश अग्निहोत्री ही इन चुनावों मे जीत हासिल कर पाये हैं। इन तीनों में से पिछली सरकार के कार्यकाल में सदन में यदि किसी की परफारमैन्स सराहनीय रही है तो उसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम ही पहले स्थान पर आता है इस नाते आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुकेश के चयन को आम आदमी का समर्थन मिल रहा है।

लोकतन्त्र में जितना महत्व सत्ता का होता है उसके मुकाबले में प्रतिपक्ष का महत्त्व उससे ही बड़ा हो जाता है। क्योंकि सरकार के हर काम पर बारिकी से नज़र रखने और गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन अथवा विरोध करना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक उत्तरदायी विपक्ष की रहती है। यही नहीं सरकार की गलत नीतियों पर सार्वजनिक जन चर्चा का वातावरण तैयार करना भी विपक्ष का सबसे बड़ा दायित्व रहता है। आज संयोगवश केन्द्र से लेकर राज्य तक एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो अपनी एक निश्चित विचारधारा रखती है और इस पार्टी को संघ की राजनीकि ईकाई माना जाता है। इसलिये यह स्वभाविक है कि इस सरकार के हर फैसले में कहीं न कहीं इसकी विचाराधारा का प्रभाव अवश्य परिलक्षित रहेगा और संघ की विचारधारा की स्वीकार्यता को लेकर पूरे समाज में अभी एक बहस की ही स्थिति चल रही है। इस नाते भाजपा की कार्यशैली को समझने के लिये संघ की विचारधारा को समझना भी आवश्यक होगा तथा इसके लिये एक व्यापक अध्ययन की भी आवश्यकता रहेगी। इस समय कांगेस के जो 21 विधायक चुनकर आये हैं उनमें इन मानकों पर शायद मुकेश ही

ज्यादा खरे उतरते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दल जितना संघ की विचारधारा को लेकर आक्रामक दिखते हैं उतना शायद सरकार के फैसलों को लेकर नही है और यही भाजपा संघ की सफलता है कि उसके फैसलों की जगह उसकी विचारधारा को लेकर ही आक्रामकता सामने आ रही है।

इस परिदृश्य में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुकेश की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वह पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण मन्त्री रहे हैं। सरकार के हर फैसलें में वह बराबर के भागीदार रहे हैं। भाजपा ने बतौर विपक्ष इसी सरकार के खिलाफ समय-समय पर आरोप पत्र सौंपे हैं। इन्ही आरोप पत्रों के माध्यम से सरकार कांग्रेस के ऊपर सदन के भीतर और बाहर बराबर दबाव बनाये रखेगी। कांग्रेस सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों पर जय राम सरकार ने पुर्नविचार करने की घोषणा की है। इसलिये इन फैसलों की सदन के भीतर और बाहर वकालत करना नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है। यह एक अच्छा संयोग है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वित्त विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी जो अधिकारी निभा रहा था आज जयराम सरकार में भी यह जिम्मेदारी उसी अधिकारी के पास है। सरकार के हर फैसले में विभाग की भागीदारी रहती है बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी फैसला हो ही नही पाता है। ऐसे में इस संद्धर्भ में यह सरकार पिछली सरकार के प्रति ज्यादा आक्रामक हो ही नही पायेगी। इसकी पहली झलक राजस्व विभाग में हुई सेवानिवृत कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर इस सरकार के यूटर्न लेने से समाने भी आ गयी है।

लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में मुकेश का नेता प्रतिपक्ष बनना इस संद्धर्भ में भी एक बड़ा फैसला बन जाता है कि वीरभद्र के कार्यकाल में मुख्यमन्त्री और संगठन प्रमुख में अन्त तक टकराव की स्थिति बनी रही है। क्या यह टकराव आज भी उसी स्थिति में बना रहेगा या इसम कमी आयेगी क्योंकि मुकेश को बहुत हद तक वीरभद्र का ही प्रतिनिधि अभी तक माना जा रहा है। इस संद्धर्भ मुकेश पर वीरभद्र के साये का तमगा कब तक चिपका रहता है और वह व्यवहारिक तौर पर इस साये से कब और कैसे बाहर आते हैं इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी आज संयोगवश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु और नेता प्रतिपक्ष मुकेश दोनो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं फिर जातिय समीकरण में भी दोनों प्रदेश की दो बड़ी जातियों से आते हैं यह दोनो नेता आपस मे किस तरह का तालमेल बिठाते हैं इसपर भी सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्ही दोनों की होगी।

प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 01 – 08 जनवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों पर अदालत के फैसलों की अनुपालना हो पायेगी

शिमला/शैल। प्रदेश भर में हुए अवैध निर्माणों और वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों के मामलें एक लम्बे अरसे से प्रदेश उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े संज्ञान में चलते आये है। अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये प्रदेश में रही कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने कई रिटेंन्शन पॉलिसीयां तक लायी। पिछली वीरभद्र सरकार ने तो अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये प्लानिंग एक्ट में ही संशोधित कर दिया था। लेकिन जब यह संशोधित एक्ट विधानसभा से पारित होकर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के लिये आया तब राज्यपाल ने इसे अपने पास रोक लिया। परन्तु जब इस संशोधित अधिनियम के पक्ष में भाजपा का एक प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल से मिला तब इस संशोधित एक्ट को राजभवन की भी स्वीकृति मिल गयी और यह कानून बन गया। लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हो गयी। इन याचिकाओं पर हुई सुनवाई के बाद 22 दिसम्बर को इस पर प्रदेश उच्च न्यायलय का फैसला आ गया है । उच्च न्यायालय ने इस संशोधन को निरस्त कर दिया है । उच्च न्यायालय के इस फैसले में सरकार के दायित्वों को लेकर जो टिप्पणीयां की गयी है उनसे हमारे माननीयों और पूरे प्रशासनिक तन्त्र की कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हुए है। वह काफी चौंकाने वाले हैं।

प्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश भर में 35000 अवैध भवन निर्माण हुए हैं। जिन्हें नियमित करने के लिये अध्यादेश लाया गया और फिर इस अध्यादेश को विधानसभा में एक्ट की शक्ल दी गयी। इस संशोधित अधिनियम में हर तरह की अवैधता ने कहा है कि The common man feel cheated when he finds that those making illegal and unauthorized constructions are supported by the people entrusted with the duty of preparing and executing the developmental plans.

क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि "13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights:-

(1) ...

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

"14. Equality before law:- The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." उच्च न्यायालय ने यह संशोधन लाने में सरकार की नीयत पर टिप्पणी की है । It is not a one time measure. For the last more than two decades, functionaries of the State, in collusion or otherwise, have allowed dishonesty to be perpetuated, by bringing in not less than seven policies of retention of unauthorized construction. Well, the legislation may be the first one, but then there is also no similarity of attending factors between the two. Duty of the State is to govern. Governance includes implementation of the statutes in existence.

Failure of the government, in having the provisions of a statute implemented, amounts to failure in governance. This failure in governance by a Government cannot be permitted to be condoned by incorporation of such like amendments, resulting into condoning mis-governance.

It promotes dishonesty and encourages violation of law. Significantly, no action stands taken against the erring officials, who, in connivance, allowed such construction to be raised, throughout the State. It is not that thousands of unauthorized structures came up overnight. The officials failed to discharge their duties. The functionaries adopted an ostrich like attitude and approach, violating human and legal rights of an honest resident of the State. Haphazard construction is in fact a threat to life and property. Entire Himalayan region, falling within the territory of Himachal Pradesh, falls within the Seismic Zone Nos.V & VI. Any natural calamity, by way of an earthquake, will pose great threat to life and property of individual and that too only on account of dishonesty allowed to be perpetuated by handful residents of the State, whose functionaries have acted in a most callous manner. Their acts are no less than criminal in nature. They have rendered the provisions of the Planning Act and other municipal laws to be nugatory and otiose.

Any indulgence on the part of the State/ Legislators, in protecting such dishonesty, would lead to anarchy and destroy the democratically established institutions, also resulting into indiscrimination. This is what Shayra Bano (supra) talks of manifest arbitrariness.

Also, it is excessive and capricious. The State owes an obligation and duty to ensure compliance of all laws, more so that of planned development, as it materially affects the rights and enjoyment of property by the persons residing within the State.

उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अवैध निर्माणों को लेकर समय-समय पर दिये गये फैसलों को भी संज्ञान में रखा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का रूख भी अवैध निर्माणों को लेकर बहुत कड़ा रहा है। इसलिये ऐसा नही लगता कि इन अवैधताओं को नियमित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई राहत मिल पायेगी। फिर प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले से पहले इसी संद्धर्भ में एनजीटी का फैसला नवम्बर माह में आ चुका है। एनजीटी ने अपने फैसले में इस संद्धर्भ में गठित प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है। इस तरह इन फैसलों के बाद इन पर अमल करवाने का दायित्व सरकार का हो जाता है। बल्कि अदालत ने तो इस संद्धर्भ में स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी लगायी है कि वह इसमें प्रशासन का सहयोग करें। अदालत ने तो कसौली के मामलें में कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव को इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये है । एनजीटी ने तो उन सेवानिवृत अधिकारियों के खिलाफ भी कारवाई करने को कहा है जिनके कार्यकाल में यह अवैधाताएं हुई हैं । लेकिन अभी तक मुख्यसचिव के स्तर पर कोई कारवाई सामने नही आयी है। संयोगवश एनजीटी और प्रदेश उच्च न्यायालय के यह फैसलें विधानसभा चुनावों के बाद नवम्बर/दिसम्बर में आये हैं। इन फैसलों पर पिछली सरकार के कार्यकाल में तो कारवाई का समय ही नही था। फिर अब तो मुख्य सचिव भी नये आ गये हैं। ऐसे में इन फैसलों पर अमल करने की सारी जिम्मेदारी अब इस सरकार पर होगी। एनजीटी के फैसलें के बाद प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कुल्लु, मनाली और धर्मशाला क्षेत्रों में सैकड़ों होटलों के निर्माण को अवैध पाया है और उनकी बिजली तथा पानी काट दिया गया है। इस पर यह भी सवाल उठता है कि यदि इतने सारे होटलों का निर्माण अवैध रूप से हुआ है तो उस समय का संबधित प्रशासन क्या कर रहा था। एनजीटी और उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कोई अवैध निर्माण प्रशासन की मिली भगत के बिना नही हो सकता है। इसलिये अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी कारवाई की अनुशंसा की गयी है। अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही कई बड़े प्रभावशाली लोग भी दोषी हैं। इनके साथ कई परोक्ष/अपरोक्ष में प्रशासन से जुड़े लोग भी दोषी मिल जायेंगे। अदालत के इन फैसलों पर यदि यह सरकार कारवाई करने का साहस दिखायेगी तो आने वाले समय में आम आदमी का समर्थन इस सरकार के साथ रहेगा। यदि यह सरकार प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर इन फैसलों पर कोई कारवाई नही कर पाती है तो इसकी साख पर भी पहले दिन से प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। क्योंकि फैसलें आ चुके हैं और शायद अब अदालत भी इन्हें बदलेगी नही। इस तरह इन फैसलों पर अमल सरकार की परीक्षा सिद्ध होगा।

अदालत के फैसलें होगें सरकार की परीक्षा